

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 भाद्रपद 4, 1947 शक सम्वत्

> विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश (संसदीय अनुभाग)

संख्या 1734 / वि०स० / संसदीय / 57(सं)-2025 लखनऊ, 11 अगस्त, 2025

> अधिसूचना प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 11 अगस्त, 2025 के उपवेशन में पुर:स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और 2025 कहा जायेगा।
 - (2) यह दिनांक 11 जुलाई, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" अधिनियम संख्या 12 कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम-संख्या 48 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम-संख्या बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :--

| क्र0सं0 | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक निकाय का नाम |
|---------|---|--|
| 49 | डॉ० के० एन० मोदी विश्वविद्यालय, मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। | डॉंंंं केंंंं एनं मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च ट्रस्ट, मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। |

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

3—(1) राज्य सरकार, डॉ० के० एन० मोदी विश्वविद्यालय, मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कििनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश प्रदान कर सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकुलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात. यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2025 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ८ सन् 2025

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उददेश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेत् उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को सम्मिलित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेत् उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

एक नया निजी विश्वविद्यालय अर्थात् डॉ० के०एन० मोदी विश्वविद्यालय, मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेत् उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया ।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये त्रंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2025 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२५ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ८ सन् २०२५) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय मंत्री, उच्च शिक्षा।

आज्ञा से. प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 199/XC-S-1-25-13S-2025 Dated Lucknow, August 26, 2025

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Niji Vishvavidyalaya (Dviteeya Sanshodhan) Vidheyak, 2025" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 11, 2025.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT)

BILL, 2025

Α

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities Short title and (Second Amendment) Act, 2025.

commencement

- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 11th day of July, 2025.
- 2. In Schedule-2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter Amendment of referred to as the "principal Act") after serial no. 48, following serial number shall be inserted, namely:-

Schedule - 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

| Sl. | Name of the University | Name of the Sponsoring Body |
|-----|----------------------------|--|
| no. | | |
| 49 | Dr. K. N. Modi University, | Dr. K. N. Modi Institute of Pharmaceutical |
| | Modinagar, Ghaziabad, | Education and Research Trust Modinagar, |
| | Uttar Pradesh. | Ghaziabad, Uttar Pradesh. |

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in Power to remove relation to the establishment of Dr. K. N. Modi University, Modinagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh, by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature, as soon as may be, after it is made.

Repeal and saving

Universities U.P. Ordinance 4. (1) The Uttar Pradesh Private (Second Amendment) Ordinance, 2025 is hereby repealed.

no. 8 of 2025

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new private University namely, Dr. K. N. Modi University, Modinagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule- 2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Ordinance, 2025 (U.P. Ordinance no. 8 of 2025) was promulgated by the Governor on July 11, 2025.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGENDRA UPADHYAY

Mantri,

Uchha Shiksha.

By order,

J. P. SINGH-II,

Pramukh Sachiv.